क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	२५/7/२५	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। ... PR रिपोर्ट [illegible] कार्यवाही [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	30/7/24	पत्रावली प[illegible] है। अतः अन्य राज्य [illegible] दिनांक 21/8/25 पत्रावली पु[illegible] को पेश हो।
	21/8/२५	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। [illegible] वकील वादी को [illegible] वकील वादी व पत्रावली [illegible] वकील वादी [illegible] दस्तावेजात [illegible] पेश कर पत्र को पर वादी की ओर से पेश [illegible] स्वीकार किया जाता है। [illegible] शामिल पत्रावली पृथक से [illegible] पत्रावली [illegible] किया जाता पत्रावली [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:37 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद सं : 116/2014
निर्णय दिनांक : 21.08.2024

मैसर्स पिकॉक टैक्सटाईलस् इन्टरनेशनल जरिये प्रो० सुशीला कुमारी गुप्ता पत्नी श्री लक्ष्मण गुप्ता जाति महाजन निवासी खोखावास, टोंक रोड, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार, तहसीलदार सांगानेर द्वारा पता–तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर जारी सचिव पता– परिवर्तित मंदिर के सामने, जे. एल एन। मार्ग, जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी मैसर्स पिकॉक टैक्सटाईलस् इन्टरनेशनल की प्रोपराईटर है तथा इस फर्म की ओर से समस्त कार्यवाही करने के लिए सक्षम है। इस वाद पत्र में इस फर्म को आगे वादी शब्द से सम्बोधित किया गया है। ग्राम खोखावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर में भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 33 रकबा 0.11 हैक्टेयर स्थित है, जिसकी वर्तमान खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण संख्या दो के नाम से अंकित है, जिसे की इस वाद पत्र में वादग्रस्त सम्पत्ति को संबोधित किया गया है। विवादित सम्पत्ति नवीन सम्पत्ति क्रमांक 33 एवं नवीन सम्पत्ति क्रमांक 31 गत मूल खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बिस्वा से बने है, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सैटलमेन्ट बनाये गये तुलनात्मक पत्र के अनुसार गत खसरा, नम्बर 15 रकबा 10 बिस्वा का [illegible] नम्बर 31 रकबा 0.04 हैक्टयर एंव नये कमरा नम्बर 33 रकबा 0.09 [illegible] वादग्रस्त सम्पति खसरा नंबर 33 का सही रकबा 0.09 हैक्टयर [illegible] गत मूल खसरा नम्बर 15 रकबा 10 विस्वा एंव इससे लगती अन्य कृषि भूमि [illegible] खातेदारी पूर्व में चन्दा, प्रभु, धन्ना पुत्रान भूरा जाति ब्राहम्ण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित थी, इसके पश्चात् उक्त खातेदारान् चन्दा उर्फ रामचन्दर, प्रभु एंव धन्ना में आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

...का बंटवारा जरिये प्रतिज्ञा पत्र बंटवारा दिनांक 13–10–1966 को हो गया तथा ...गत मूल खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बिस्वा सम्पूर्ण चन्दा पुत्र भूरा के हक व ...में आ गया, तत्पश्चात् उक्त गत मूल खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बिस्वा में से ...रकबा 3 बिस्वा भूमि एंव अन्य भूमि का बेचान उक्त चन्दा पुत्र भूरा ने भागचन्द ...पुत्र इन्दुमल जी जाति ओसवाल महाजन कर्नावट एंव फूलचन्द जी पुत्र गैंदीलाल ...जाति महाजन जैन के हक में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकीत 14 अगस्त सन् 1969 द्वारा कर दिया, जिसके आधार पर गत मूल खसरा नम्बर 15 से गत बटा खसरा नम्बर 15/2 बना। इसके पश्चात् गत मूल खसरा नम्बर 15 रकबा 10 बिस्वा में से शेष रहे रकबा 07 बिस्वा का बेचान उक्त चन्दा पुत्र भूरा ने श्रीमति शीला देवी बगडा पत्नी हेमेन्द्र कुमार बगडा के हक में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकीत 07 नवम्बर सन् 1969 द्वारा कर दिया तथा इसके पश्चात् उक्त श्रीमति शीला देवी बगडा पत्नी हेमेन्द्र कुमार बगडा ने अपनी कयशुदा भूमि गत खेसरा नम्बर 15 रकबा 10 बिस्वा में से शेष रही भूमि रकबा 07 बिस्वा का बेचान वादी के हक में जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांकीत 12 अगस्त सन् 1980 द्वारा कर दिया, इस प्रकार उक्त गत खसरा नम्बर 15 में विक्रय की गई भूमि रकबा 7 बिस्वा सम्पूर्ण का एकमात्र स्वामी एंव काबिज वादी स्वंय है तथा उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर गत मूल खसरा नम्बर 15 से गत बटा खसरा नम्बर 15/1 बना तथा उक्त विक्रयशुदा भूमि गत बटा खसरा नम्बर 15/1 का नामान्तरकरण भी जरिये नामान्तकरण संख्या 102 दिनांक 24–08–1981 को वादी के नाम से तस्दीक एंव स्वीकार किया गया तथा उक्त नामान्तरकरण का अमल भी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी एंव खसरा गिरदावरी में हो गया। दौराने सैटलमेन्ट उक्त गत बटा खसरा नम्बर 15/1 रकबा 7 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 33 एंव गत बटा खसरा नम्बर 15/2 रकबा 3 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 31 बना, किन्तु प्रतिवादी संख्या एक के राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन से एंव घोर लापरवाही बरतते हुए दौराने सैटलमेन्ट वादी के हक, काश्त एंव स्वामित्व के खसरा नम्बर 33 की वर्तमान जमाबन्दी में वादी के नाम से खुले हुए नामान्तरकरण का इन्द्राज बिना किसी उचित कारण के हटा दिया है तथा हाल खसरा नम्बर 33 के रकबे में 0.02 हैक्टयर की बढ़ोतरी कर इस ... खाते ... री वापिस इसके पूर्व खातेदारान् चन्दा, प्रभु, धन्ना के नाम से सहवन से अंकित कर दी है, जिसके सम्बन्ध में वादी को आज तक कोई सूचना नहीं दी गई है ना ही सुनवाई का कोई अवसर ही वादी को दिया गया है, बिना वादी को सुनवाई का अवसर दिये प्रतिवादी संख्या एक के राजस्व कर्मचारियों का उक्त कृत्य घोर लापरवाही को दर्शित करता है तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रतिवादी संख्या एक द्वारा हाल खसरा नम्बर 33 बावत वादी का नाम वर्तमान जमाबन्दी में हजब कर दिया है जो सरसरी तौर पर दुरूस्त फरमाया जाकर उक्त खसरा नम्बर 33 की वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादी का नाम पुनः अंकित किये जाने की घोषणा करवाये जाने का वादी अधिकारी है। उपरोक्त वर्णित भूमि खसरा नम्बर 33 के बावत गलत एंव अवैध प्रकार से हुए इन्द्राज का नाजायज फायदा उठा कर बिना किसी हक, कब्जे व अधिकार के उक्त भूमि के पूर्व खातेदारान् द्वारा इस भूमि कागजी तौर पर पुनः बेचान तोपखाना देश गृह निर्माण सहकारी समिति को दर्शा दिया तथा उक्त समिति एंव पूर्व खातेदारान् एंव प्रतिवादी संख्या दो द्वारा तथ्यों की सही एंव वास्तविक स्थिति का पता किये बिना उक्त भूमि बावत धारा 90 बी भू-राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर इसकी खातेदारी प्रतिवादी संख्या दो के नाम से अंकित कर 'दी, जबकि वादी ने आर्ज अपने खातेदारी अधिकारों का कोई समर्पण प्रतिवादी संख्या दो के हक में नहीं किया है, चूंकि इस भूमि पर शुरू से ही वादी का कब्जा चला आ रहा है, इस कारण उक्त भूमि पर किसी भी दीगर व्यक्ति या संस्था के हक में पट्टा या आवंटन पत्र देने की कार्यवाही आज तक समिति या प्रतिवादी संख्या दो द्वारा नहीं की गई है। वादी द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या एक को उक्त भूमि की वर्तमान जमाबन्दी में अपना नाम अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया जा चुका है किन्तु प्रतिवादी संख्या एक द्वारा प्रतिवादी संख्या दो के प्रभाव में आकर ऐसा नही किया जा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या दो द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज खातेदारी २ का नाजायज फायदा उठाकर वादी को बेदखल कर देवें, इसका वादी को पूर्ण अंदेशा है, इस कारण वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद वास्ते घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 33 का एकमात्र स्वामी एंव काबिज वादी है, जिसका वादी कय करने के दिन से ही लगातार उपयोग व उपभोग कर रहा है। 10. यह कि वादी घोषणा करवाने की अधिकारी है कि मुताबिक पंजीबद्ध विकय पत्र दिनांकीत 12-09-1980 एंव. नामांन्तरकरण संख्या 102 दिनांकीत 24-08-1981 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 33 वाके ग्राम खोखाव[illegible] क्षेत्र दुर्गापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी संख्या दो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वह उक्त आराजी का पुनः विक्रय या आवंटन या पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किसी दीगर व्यक्ति या संस्था के हक में न करें, तथा न ही वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग, उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें। वादी द्वारा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:37 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी को दुरूस्त कर अपना नाम पुनः अंकित किये जाने बाबत प्रतिवादी एक से कई बार निवेदन, कर चुका है किन्तु इसके बावजूद भी प्रतिवादी एक द्वारा उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त कर वादी का नाम अंकित किये की कोई कार्यवाही नही की गई है और दिनांक 02-06-2014 वादी द्वारा वादी संख्या एक को किये गये निवेदन को अस्वीकार किये जाने के कारण वादी वादकारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। वादी द्वारा प्रस्तुत किया दावा अर्जेन्ट का है तथा वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या एक को लैण्ड होल्डर होने के कारण प्रतिवादी संख्या दो को वर्तमान खातेदार होने के कारण बतौर प्रतिवादी पक्षकार गया गया है, इस कारण वाद प्रस्तुत करने के पूर्व वादी को विरूद्ध प्रतिवादीगण दो माह का पूर्व नोटिस प्रेषित किये जाने से छूट प्रदान किया जाना आवश्यक व उचित है।

अनुतोष है कि :-

(क) वाद वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम खोखावास पटवार क्षेत्र दुर्गापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत सही रकवा एंव सही किस्म दुरूस्त कर वादी को इसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

(ख) प्रतिवादीगण संख्या दो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वह उक्त आराजी का पुनः विक्रय या आवंटन या पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किसी दीगर व्यक्ति या संस्था के हक में न करें, तथा न ही वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग, उपभोग कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। पत्रावली पेश हुई, उभयपक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 जयपुर विकास प्राधिकरण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादी का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

वकील उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में दावे में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं निवेदन किया कि वाद वादी बहक प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 33 रकबा 0.11 हैक्टयर वाके ग्राम खोखावास पटवार क्षेत्र दुर्गापुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर बाबत सही रकवा एंव सही किस्म दुरूस्त कर वादी को इसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें। प्रतिवादीगण संख्या दो को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि वह उक्त आराजी का पुनः

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

या आवंटन या पट्टा या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण किसी दीगर व्यक्ति या के हक में न करें, तथा न ही वादी के शान्तिपूर्ण उपयोग, उपभोग कब्जा में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करें।

बहस उभयपक्षकारान अधिवक्तागण एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को खसरा नम्बर 33 रकबा 0.11 हैक्टेयर पूर्व जमाबन्दी सेटलमेन्ट से पूर्व के आधार पर खसरा नम्बर 33 रकबा 0.11 हैक्टेयर में 0.07 एयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार सांगानेर नया खसरा नम्बर बाबत् रकबा 0.07 हैक्टेयर का बना कर पालना करे।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:37 IST
Reason: SelfAttested